

Date of order of proceeding	Case No. ... 122/2022	Signature of Parties or Pleders where necessary.
09/3/24	Order or proceeding with Signature of presiding Officer प्रकरण राजीनामा हेतु आज दिनांक 09/3/2024 को लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक 20 के समक्ष रखा गया है। आवेदक/परिवादी <u>लोनेशा दुवे</u> स्वतः उपस्थित/अभिभाषक श्री <u>एक. बल. शास्त्री</u> सहित उपस्थित/आवेदक/परिवादी <u>लोनेशा दुवे</u> की पहचान अभिभाषक श्री <u>एक. बल. शास्त्री</u> ने किया है। अनावेदक/अभियुक्त <u>पांजल राज</u> सहित एवं द्वारा अभिभाषक श्री उपस्थित। आवेदक/परिवादी <u>लोनेशा दुवे</u> की ओर से अनावेदक/अभियुक्त <u>पांजल राज</u> के साथ राजीनामा करने की अनुमति हेतु एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पर विचार किया। आवेदक/परिवादी <u>लोनेशा दुवे</u> की सूचना पर संस्थित किये गये इस प्रकरण में अनावेदक/अभियुक्त <u>पांजल राज</u> के विरुद्ध 136 प्रा. क. अधिन दण्डनीय अपराध का आरोप है जो परिवादी/आवेदक द्वारा स्वतः/न्यायालय की अनुमति से विधिपूर्वक शमनीय अपराध का विधिपूर्वक शमन उभय पक्षों के हित में है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अनुमति के परिणामस्वरूप उभय पक्षों ने संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उपरांत प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप अनावेदक/अभियुक्त <u>पांजल राज</u> को 136 प्रा. क. अधिन दण्डनीय अपराध के आरोप से उन्मोचित/दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में जप्त सम्पत्ति कुछ नहीं हैं। जप्त सम्पत्ति मूल्यहीन है अतः अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावें। जप्त सम्पत्ति प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रपत्र व्यवस्थित कर अभिलेख विधि द्वारा विहित अवधि में अभिलेखागार में संचित किये जावें। <u>सदस्य</u> <u>श्री जय नारायण</u> <u>Shu</u> न्यायाधीश (नियमित न्यायाधीश)	122/2022 136 प्रा. क. अधिन दण्डनीय अपराध का आरोप है जो परिवादी/आवेदक द्वारा स्वतः/न्यायालय की अनुमति से विधिपूर्वक शमनीय अपराध का विधिपूर्वक शमन उभय पक्षों के हित में है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अनुमति के परिणामस्वरूप उभय पक्षों ने संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उपरांत प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप अनावेदक/अभियुक्त <u>पांजल राज</u> को 136 प्रा. क. अधिन दण्डनीय अपराध के आरोप से उन्मोचित/दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में जप्त सम्पत्ति कुछ नहीं हैं। जप्त सम्पत्ति मूल्यहीन है अतः अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावें। जप्त सम्पत्ति प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रपत्र व्यवस्थित कर अभिलेख विधि द्वारा विहित अवधि में अभिलेखागार में संचित किये जावें। <u>सदस्य</u> <u>श्री जय नारायण</u> <u>Shu</u> न्यायाधीश (नियमित न्यायाधीश)

न्यायाधीश
(सहायक न्यायाधीश, न्यायालय)
स्वायत्त न्यायालय प्रणाली के तहत विचारित
विचार न्यायालय

पारवादा का आश्वस्त किया कि पारवादा अपन बक खात न यक का जमा कर दव,